ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भिरड़ी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्री विजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्री इन्द्रजीत	01.04.2022 से 30.10.2023
2	श्री मनोहर लाल	31.10.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत भिरड़ी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.40
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	15.55
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.28
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.02
5	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान करना	11.29
6	9	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर	1.79

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2025 से 01.03.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्श	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	08/2022
2023–2024	08/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत

सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क** :—

ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61 दिनांक 01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति** :—

ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत भिरड़ी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022—23	191197.8	31536	13172	235905.8	67036	168869.8
2023—24	168869.8	87141	40191	296201.8	91479	204722.8

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत भिरड़ी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2022—23	1019273.42	5056656	8921	6084850.42	4477361	1607489.42
2023—24	1607489.42	3323265	0	4930754.42	3375513	1555241.42

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,SBM,VKVNY, 15th FC, MMRRY,SDRF

A/c No. 20102007853	KCCB Chadhiar	Own source, 5th state, SBM		350370
A/c No. 81730100094058	HGB Chadhiar	VKVNY, SDRF, MMRRY		647107.42
A/c No. 87731700101286	HGB Chadhiar	15th FC		799953
A/c No. 8882000100011954	PNB Rajnagar			1009.09
				1065
			Total	**1799504.51**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)				204722.8
Cash Book Balance on 31.03.2024		SBM		262040
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC		94340
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY		228940
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC		799041
Cash Book Balance on 31.03.2024		MMRRY		76051.42
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDRF		94829
			Total	**1759964.22**
			Diff.	**39540.29**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.40 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹39540.29 पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 01.03.2025

द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए स्कीमवार बैंक खाते न खोलना:–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र संख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के Own Source, 5th State, SBM स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20102007853 के0सी0सी0बी0 व VKVNY, SDRF, MMRRY के लिये खाता संख्या 81730100094058 एच0जी0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनांक 01.03.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5. **निवेश :–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभुतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 2,04,722/–की राशि शेष थी, जोकि अंकेक्षणावधि में कृत व्यय की तुलना में कहीं अधिक थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 दिनांक 01.03.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03

दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु साविध में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 15.55 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 15,55,241.42 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके

अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण वश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पति कर ₹ 28,370/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–23	38660	15850	54510	22405	32105
2023–2024	32105	15850	47955	19585	28370

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनांक 01.03.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 28,370/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के

दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **1,800/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022.23	1800.00
1	2023–24	1800.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 01.03. 2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹ 11.29 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 11,28,665/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68 दिनांक 01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त किये गये है । अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्व किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹1.79 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका कियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के कियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹1,78,825.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2024 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1938789.46
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1759964.22
अन्तर	₹	178825.24

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69 दिनांक 01.03.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70 दिनांक 01.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं अतः सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः हि0प्र0 पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना अंकेक्षण के दौरान न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

1	नि0 रास्ता सडक से मदन के घर तक मनरेगा
2	नि0 टाईल रास्ता सतीश के घर से बिहारी लाल के घर तक मनरेगा

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित/सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :—इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

14 MAY 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

2748—2752 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)462/2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भिरड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 MAY 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति0

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhirdi" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	0	300000	0	300000	0	300000
2	5 SFC	0	403606	0	403606	365606	38000
3	VKVNY	219170	279995	0	499165	270225	228940
4	15TH FC	550493	610407	8921	1169821	300152	869669
5	MMRRY	131311.42	0	0	131311.42	55260	76051.42
6	SDRF	118299	98500	0	216799	121970	94829
7	MNREGA	0	3364148	0	3364148	3364148	0
	Total Rs.	1019273.42	5056656	8921	6084850.42	4477361	1607489.42

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhirdi" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	300000	0	0	300000	37960	262040
2	5 SFC	38000	464128	0	502128	407788	94340
3	VKVNY	228940	0	0	228940	0	228940
4	15TH FC	869669	83788	0	953457	154416	799041
5	MMRRY	76051.42	50000	0	126051.42	50000	76051.42
6	SDRF	94829	0	0	94829	0	94829
7	MNREGA	0	2725349	0	2725349	2725349	0
	Total Rs.	1607489.42	3323265	0	4930754.42	3375513	1555241.42

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,SBM,VKVNY, 15th FC, MMRRY,SDRF

A/c No. 20102007853 KCCB Chadhiar Own source, 5th state, SBM

A/c No. 81730100094058 HGB Chadhiar VKVNY, SDRF, MMRRY 350370

A/c No. 87731700101286 HGB Chadhiar 15th FC 647107.42

A/c No. 8882000100011954 PNB Rajnagar 799953

1009.09

1065

Total 1799504.51

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source) 204722.8

Cash Book Balance on 31.03.2024 SBM 262040

Cash Book Balance on 31.03.2024 5 SFC 94340

Cash Book Balance on 31.03.2024 VKVNY 228940

Cash Book Balance on 31.03.2024 15TH FC 799041

Cash Book Balance on 31.03.2024 MMRRY 76051.42

Cash Book Balance on 31.03.2024 SDRF 94829

Total 1759964.22

diffrence -39540.29

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत, भिरड़ी

वि0ख0 पंचरूखी (कांगड़ा) हि0प्र0

Financial Position of Own sources in r/o GP Bhirdi

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	191197.8	31536	13172	235905.8	67036	168869.8
2023-24	168869.8	87141	40191	296201.8	91479	204722.8

Kvg
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, भिरड़ी
वि0ख0 पंचरुखी (कांगड़ा) हि0प्र0

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Bhirdi **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	38660	15850	54510	22405	32105
2023-24	32105	15850	47955	19585	28370
	Total family 317@ 50/- per annuam				

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, भिरडी
वि0ख0 पंचरुखी (कांगड़ा) हि0प्र0

परिशिष्ट-3

Name of Gram Panchayat BHIRDI Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP) 2022-23

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Sand CFT	Bajri CFT	Boulder	ricks Nor	Amount
1	C/O AMRIT SAROVAR WARD NO 3 GP BHIRDI	MGNREGA	**SEEMA DEVI**	001&19/07/2022	001&19/07/2022	600				30600
				002&19/07/2022	002&19/07/2022		1200			50400
				003&19/07/2022	003&19/07/2022			400		14800
1	JEEPABLE ROAD MAIN ROAD TO GP GHAR	15THFC	SEEMA DEVI	P/3$25/08/2022	014$23/08/2022	150	200	150		21600
2	WATER TANK LOWER BHIRDI	15THFC	SEEMA DEVI	P/4$25/08/2022	012$25/08/2022	150	150			13950
3	WATER TANK LOWER BHIRDI	15THFC	SEEMA DEVI	P/5$25/08/2022	011$23/08/2022	100	60		800	15220
4	CSC BHIRDI	15THFC	SEEMA DEVI	P/6$25/08/2022	015$23/08/2022	150	250		2000	37150
										183720

Kng

Name of Gram Panchayat BHIRDI Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP) 2023-24

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Sand CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Non	Amount
1	C/O WATER TANK URMILA DEVI W/O PREM RAJ WARD NO 5	MGNREGA	SEEMA DEVI	NIL, 28.06.2023	031&23/09/2022	300				15300
				NIL, 28.06.2023	032&23/09/2022		80			3360
				NIL, 28.06.2023	033&23/09/2022			290		10730
2	C/O WATER TANK RAJESH KUMAR S/O KEHAR SINGH WARD NO 5			NIL, 28.06.2023	025&23/09/2022	320				16320
				NIL, 28.06.2023	026&23/09/2022		90			3780
				NIL, 28.06.2023	027&23/09/2022			250		9250
3	C/O WATER TANK URMILA DEVI W/O RAMESH CHAND WARD NO 5			NIL, 28.06.2023	142&20/02/2023		210			8820
				NIL, 28.06.2023	156&01/03/2023	330				16830
4	C/O WATER TANK LATA DEVI W/O VIJAY KUMAR WARD NO 5			NIL, 28.06.2023	148&24/02/2023		210			8820
				NIL, 28.06.2032	149&24/02/2023	330				16830
5	C/O RAIN HARVESTING TANK LUXMI DEVI W/O VIJAY KUMAR			NIL, 28.06.2023	127&26/12/2022	330				16830
				NIL, 28.06.2023	128&26/12/2022		300			12600
6	C/O RAIN HARVESTING TANK MEERA DEVI W/O KESHO RAM			NIL, 28.06.2023	159&08/03/2023	330				16830
				NIL, 28.06.2023	161&08/03/2023	210				8820
7	C/O RAIN HARVESTING TANK KANTA DEVI W/O RAMESH CHAND WARD NO 2			NIL, 28.06.2023	164&10/03/2023	330				16830
				NIL, 28.06.2023	165&10/03/2023		210			8820
8	C/O RAIN HARVESTING TANK SUMAN KUMAR S/O BHURI RAM WARD NO 4			NIL, 28.06.2023	124&20/12/2022	270				13770
				NIL, 28.06.2023	125&20/12/2022		480			20160
9	C/O WORK WATER HARVESTING TANK DALIP SINGH S/O KIRLU RAM			NIL, 28.06.2023	151&01/03/2023		210			8820
				NIL, 28.06.2023	152&01/03/2023	330				16830
10	C/O WORK WATER HARVESTING TANK SUNKA RAM S/O PIYARE LAL			NIL, 28.06.2023	138&10/02/2023	330				16830
				NIL, 28.06.2023	140&10/02/2023		210			8820
11	C/O UPBARDHAN PANCHAYAT GHAR BHIRDI			NIL, 28.06.2023	135&03/01/2023	400				22950
				NIL, 28.06.2023	136&05/01/2023		300			12600
				NIL, 28.06.2023	137&05/01/2023			350		12950
12	C/O WORK PANCHVATI PARK WARD NO 3			NIL, 28.06.2023	178&27/03/2023	1500				76500
				NIL, 28.06.2023	179&27/03/2023		1600			67200
13	C/O UNCOMPLATE ROAD JEEPABLE ROAD ROSHAN LAL HOUSE TOWARDS RADHE HOUSE			NIL, 28.06.2023	034&23/09/2022	320				16320
				NIL, 28.06.2023	035&23/09/2022		600			25200
14	C/O JEEPABLE ROAD BRAMHU RAM HOUSE TOWARDS JOGI BASTTI			NIL, 28.06.2023	019&23/09/2022	220				11220
				NIL, 28.06.2023	020&23/09/2022		430			18060
				NIL, 28.06.2023	021&23/09/2022			200		7400
15	C/O UNCOMPLATE ROAD KHANUDIYA BASTI TOWARDS JANK SINGH HOUSE			NIL, 28.06.2023	016&23/09/2022	70				3570

19

				NIL, 28.06.2023	017&23/09/2022		135			5670
				NIL, 28.06.2023	018&23/09/2022			390		14430
				NIL, 28.06.2023	103&26/11/2022	80				4080
				NIL, 28.06.2023	104&26/11/2022		150			6300
16	C/O PATH/PROTECTION WALL GOPI CHAND HOUSE TO SURENDER LAL ,SHALI LAL HOUSE TOWARDS			NIL, 28.06.2023	114&06/12/2022	470				23970
				NIL, 28.06.2023	115&06/12/2022		580			24360
17	C/O UNCOMPLATE PATH CHADHIAR BAZAR TO BAWATI HOUSE TOWARDS			NIL, 28.06.2023	105&29/11/2023	445				22695
				NIL, 28.06.2023	106&29/11/2023		840			35280
				NIL, 28.06.2023	107&29/11/2023			300		11100
18	C/O REPAIR PATH MAIN ROAD TO MUKESH KUMAR HOUSE TOWARDS			NIL, 28.06.2023	028&23/09/2022	300				15300
				NIL, 28.06.2023	029&23/09/2022		490			18480
				NIL, 28.06.2023	119&09/12/2022	300				15300
				NIL, 28.06.2023	120&09/12/2022		440			18480
19	C/O JEEPABLE ROAD BHIRDI NEW WORK WARD NO 4 NEW			NIL, 28.06.2023	6&23/09/2023	1650				69300
20	C/O REPAIR PATH TOWARDS LEKHRAJ HOUSE WARD NO 3			NIL, 28.06.2023	130&02/01/2023	530				27030
				NIL, 28.06.2023	131&02/01/2023		500			21000
				NIL, 28.06.2023	132&02/01/2023			500		14500
21	C/O WORK WATER TANK NARU BASTTI			NIL, 28.06.2023	167&12/03/2023	100				5100
				NIL, 28.06.2023	168&12/03/2023		150			6300
22	C/O WORK CHECK DAM KHOLI NALLA			NIL, 28.06.2023	175&26/03/2023	300				15300
				NIL, 28.06.2023	176&26/03/2023		500			21000
										944945